

## संस्कृति मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2013

**का.आ. 3488(अ).**—केन्द्र सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2533(अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2009 में संशोधन करती है :-

1. लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन पदेन अध्यक्ष :

(i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय

2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पदेन सदस्य :

- i. संयुक्त सचिव  
मंत्रिमंडल
- ii. संयुक्त सचिव  
गृह मंत्रालय
- iii. संयुक्त सचिव  
रक्षा मंत्रालय
- iv. संयुक्त सचिव  
विदेश मंत्रालय
- v. संयुक्त सचिव  
वित्त मंत्रालय
- vi. संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय

3. लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन पदेन सदस्य:

- i. संयुक्त सचिव, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
- ii. संयुक्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन

4. लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रोफेसर, इतिहासज्ञ तथा अभिलेखाधिकारी एवं विशेष आमंत्रिती :

- i. श्री अजय चौधरी (उपाध्यक्ष)  
सेक्टर बी, पाकेट 1, कृते ग्रीन वैली स्कूल, वसंत कुंज,  
नई दिल्ली-110070
- ii. डा. सरला शर्मा  
4, पंचशील इन्कलेव  
क्लार्क आमेर होटल के पास, जे एल एन रोड  
जयपुर-302018
- iii. डा. मो. इरशाद नदवी नोगानवी  
रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर-244901  
उत्तर प्रदेश
- iv. श्री एम एस जाहिद  
निदेशक,  
अभिलेख, अभिलेख विज्ञान एवं संग्रहालय विभाग,  
जम्मू एवं कश्मीर सरकार श्रीनगर
- v. प्रो. मनमोहनी कौल  
सेन्टर फॉर इण्डो पैसिफिक स्टडिज

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पीठ

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली

- vi. स्क्वा. ली (से. नि.) आर. टी. एस चिन्ना  
सचिव, सशत्रु बल ऐतिहासिक अनुसंधान केन्द्र,  
यू एस आई, राव तुलाराम मार्ग,  
सिग्नल इन्क्लेव के सामने, बसंत विहार,  
पो. बॉ. 8, नई दिल्ली-110057
- vii. श्री गौतम चन्द जैन,  
9/7 अरिहन्त कृपा, लूनावत भवन,  
लक्ष्मी रोड़, शांति नगर, बंगलौर-560027
- viii. श्री सियाराम मीणा,  
ई-18, गांधी नगर,  
जयपुर, राजस्थान
- ix. श्री आर जी सोमशेखर गौडा  
छटा ब्लॉक, राजाजी नगर, बंगलौर
- x. डा. सुषमा यादव,  
एल-124, सैक्टर-11, नोएडा-201301

उत्तर प्रदेश

लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (घ) क्र. सं. (i) से (iii) पर निर्दिष्ट तीन सदस्यों के नामांकन को स्वीकृति प्रदान करता है तथा वे इस प्रावधान के अन्तर्गत होंगे। इसी प्रकार से क्र. सं. (iv) से (x) पर निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष आमंत्रिती होंगे और उन्हें नामित सदस्यों के समान ही प्रतिष्ठा तथा सुविधाएं प्रदान होंगी।

5. लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (इ) के अधीन पदेन सदस्य सचिव:

(i) अभिलेख महानिदेशक

सभी सदस्य (पदेन सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों सहित) अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को स्वीकार्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं।

[फा. सं. 16-16/2012 आरएम]

वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव